कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक :– रीडर/2025/1605 दिनांक :– 22.8.2025

आदेश

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 अन्तर्गत धारा 131,132 एवं भू.अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 से 60, 66,86)

प्रार्थीगण गुरमेल सिह, जगदेवसिह पुत्रगण निहाल सिह, बुटासिह शिवराज सिह, सुखराज सिह पिसरान पाल सिह, लक्ष्मण सिह पुत्र लालसिह जाति जटसिख सा.ढाणीया संतपुरा, जसवन्त सिह पुत्र जंगीर सिह, धन्नासिह पुत्र बोगासिह जाति जटसिख सा.नुकेरा तहसील संगरिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 2 ए.एम.पी. के खाता संख्या 172/59 व 154/27 एवं 59/87 में दर्ज पत्थर नम्बर 163/133 मु.न. 58 के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक मे प्रचलित रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने हेतु निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पर तहसीलदार संगरिया ने अपने पत्रांक राजस्व/2025/1679 दिनांक 12.06.2025 द्वारा चक 2 एएमपी प.नं. 163/33 मु.न. 58 किला नं. 21 ता 25/0.253 है.प्रत्येक दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त किलो में गै.मु.रास्ता दर्ज रिकार्ड नही होना तथा वर्तमान में मौका पर कच्चा रास्ता चल रहा होना बतलाते हुए आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने की अनुशंषा करते हुए प्रस्ताव भिजवाये।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक :43(2) राज–6/ 2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण एवं पत्रावली में तहसीलदार संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट एवं उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम पंचायत नुकेरा व ग्राम पंचायत सन्तपुरा से भी जुड़ता है का भली–भांति मौका निरीक्षण/अवलोकन किया गया कि उक्त रास्ता दो मन्जूर शुद्वा रास्तो को जोड़ता है। जिससे न केवल प्रार्थीगण अपितू आम काश्तकारों हेतु भी सुविधा जनक होगा। अतः जनहितार्थ प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 अन्तर्गत धारा 131 व 132 काबिल होने से स्वीकृत किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक :43(2) राज–6/ 2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना एंव तहसीलदार संगरिया द्वारा किस्म भूमि पर बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2025/1679 दिनांक 12.06.2025 अनुसार राजस्थान भू0 अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानुसार मौका निरीक्षण पटवार हल्का संतपुरा की खाता संख्या 172/59 व 154/27 एवं 59/87 की आराजी पत्थर नम्बर 163/133 मु.नं. 58 किला नंम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा (0.025) है. किस्म नहरी पर वर्षो से सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में संबंधित खातेदार के खाते में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। नजरी नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। उपरोक्तानुसार आदेश जारी किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार संगरिया को अलग से भिजवाया जाकर पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रमांक :– सम/1606–1607 दिनांक :– 22.8.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. तहसीलदार भू–अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया